न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बजूजलास पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या - 181/2019

निर्णय दिनांक - 18.9.2021

रमेशकुमार पुत्र रामनिवास जाति महाजन निवासी सिद्धमुख तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— वादी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र श्रीलाल
2. रविन्द्रकुमार पुत्र रामनिवास
3. प्रभादेवी पुत्री रामनिवास
4. चानणमल पुत्र श्रीलाल
5. बजरंगलाल पुत्र श्रीलाल
6. रामानन्द पुत्र जयनारायण
7. पुरूषोतम पुत्र जयनारायण
8. विनोद पुत्र जयनारायण
9. मीरादेवी पुत्री जयनारायण
10. कृष्णा पुत्री जयनारायण

जाति समस्त महाजन निवासी सिद्धमुख तहसील राजगढ़ जिला चूरू

11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act.

उपस्थिति :-

1. श्री मनोज पचार अधिवक्ता वास्ते वादी
2. " राकेश जेवलिया अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1 से 10
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं. 11

निर्णय

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि ग्रा ख.नं. 288 तादादी 3 बीघा 12 बिस्वा ख.नं. 698 तादादी 15 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल तादादी 19 बीघा 6 बिस्वा वाके रोही मौजा सिधमुख तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित थी जिसका खातेदार वादी का दादा श्रीलाल पुत्र सुखराम था जिसकी मृत्यु के बाद विरासतन नामान्तरकरण द्वारा वादी के पिता रामनिवास व उसके भाई जयनारायण, बजरंगलाल, चन्दनमल के नाम ब हिस्सा बराबर दर्ज हुई जिस भूमि में से 3 बिस्वा भूमि ख.नं. 288 में से सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क सिधमुख से सिवानी के दर्ज होने के बाद ख.नं. 2100/288 मिन तादादी 3 बीघा 9 बिस्वा, ख० नं० 698 तादादी 15 बीघा 14 बिस्वा कुल 19 बीघा 3 बिस्वा वादी के पिता रामनिवास व उसके भाई जयनारायण बजरंगलाल चन्दनमल के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज हुई जिसके हाल ख.नं. 430 तादादी 0.87 हे० व ख.नं. 1136 तादादी 3.97 हे० पैमूद हुए यही कृषि भूमि विवादित कृषि भूमि है। जमाबन्दी गत व हाल तथा खसरा मिलान व नामान्तरकरण वाद के साथ प्रस्तुत है।

विवादित कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के दादा के खातेदारी की रही। जिसमें वादी का पिता का 1/4 हिस्सा है जिसमें वादी का जन्म से ही हिस्सा रहा है लेकिन कर्ता खानदान रहने से वादी के पिता के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है विवादित कृषि भूमि के अलावा खातेदार चानणमल के खातेदारी में पैतृक कृषि भूमि ख.नं. 381 तादादी 1.47 हे० वाके रोही मौजा सिधमुख में चली आ रही थी विवादित कृषि भूमि का पूर्व में भाई बटवारा हो चुका है जिसके मुताबिक वादी के पिता के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में 1.21 हे० भूमि बनती है जिसमें पारिवारिक बटवारे के मुताबिक हाल ख० नं० 430 तादादी 0.87 हे० हिस्सा ही वादी के पिता के हिस्से में दी गई व ख० नं० 1136 तादादी 3.97 हे० में चानणमल को कोई हिस्सा नहीं दिया गया बल्कि उक्त खसरा ब हिस्सा बराबर जयनारायण व बजरंग

के हिस्से में आया हुआ है। विवादित कृषि भूमि जिसमें वादी के पिता के हिस्से में ख.नं. 430 तादादी 0.87 हैक्टे भूमि आई वो भाई बंटवारे में सम्पूर्ण हिस्सा वादी के हिस्से में कर दिया व उक्त विवादित कृषि भूमि में वादी के पिता व वादी के भाई बहिनों ने अपना हिस्सा वादी के पक्ष में भाई बंटवारे में हक त्याग कर दिया था लेकिन वादी के पिता के खातेदारी में दर्ज होने के कारण राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हो सका वर्तमान में विवादित कृषि भूमि के ख.नं. 430 तादादी 0.87 हैक्टे का एकमात्र खातेदारी वादी तथा ख.नं. 1136 तादादी 3.97 हैक्टे में से 1/2 हिस्सा का बजरंगलाल व 1/2 हिस्सा के प्रतिवादीगण संख्या 6 से 10 बहिस्से बराबर है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज है तथा इसी अनुसार वादी अपना हिस्सा घोषित करवाना चाहता है जिसके लिए यह वाद घोषणात्मक पेश किया गया। आदि - आदि पेश कर वादानुसार अनुतोष चाहा गया।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रतिवादीगण को नियमानुसार तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये व इकबालदावा पेश किया व प्रतिवादी सं. 5 व 6 से 10 की ओर से काउन्टर क्लेम पेश किया। वकील वादी ने जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करना चाहा व प्रतिवादी सं. 11 की ओर से राजहित निहित नहीं होना जाहिर किया गया। वाद पत्र के अभिवचनों का कोई खण्डन पेश नहीं किया गया इसलिए विवाद्यक कायम नहीं किये गये। उभयपक्ष ने साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा। एवं प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर ही वाद को निस्तारित किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला कृषि भूमि में हकों की घोषणा का है। राजहित प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 10 की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। राजस्व रिकार्ड से विवादित कृषि भूमि पैतृक होना प्रस्तुत दस्तावेज से प्रमाणित है। अतः वाद डिक्री किया जाकर तदनुरूप वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 5 व 6 से 10 स्वीकार कर घोषित किया जाता है कि विवादित कृषि

भूमि हाल ख० नं० 430 तादादी 0.8700 है० रोही सिद्धमुख तहसील राजगढ़ जिला चूरू वादी के अकेली की खातेदारी भूमि रहेगी तथा विवादित कृषि भूमि ख० नं० 1136 तादादी 3.9700 है० रोही सिद्धमुख तहसील राजगढ़ जिला चूरू प्रतिवादी संख्या 5 बजरंगलाल व प्रतिवादी संख्या 8 विनोद के ब हिस्सा बराबर खातेदारी की है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.5.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)